पु.या.क/ /2018

प्र.दि. / /2018

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर

निगरानी -6343/2018/बडवानी /भू. २१ इन्ही के समक्ष

जितेन्द्र पिता ओम प्रकाश पाटीदार
निवासी :- भवानी माता चौक कसरावद,
तह. कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) . . . **पुनरिक्षणकर्ता/अनावेदक**

विरूद्ध

म.प्र. शासन तर्फे अनुविभागीय अधिकारी
बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.) . . . **रेस्पाडेण्ट**

डाक प्र प्राप्त/ 19-11-18

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959 के तहत

माान्यवर महोदय,

सदर प्रकरण में, **पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी** तर्फे सादर निवेदन है कि -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि सहायक खनिज अधिकारी, जिला बडवानी से वस्तुस्थिती का प्रतिवेदन प्राप्त. किया गया। सहायक खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया है कि अवैध रुप से **पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी** द्वारा ग्राम पीछोडी स्थित शासकिय भुमि सर्वे क 66 रकबा 2.574 हे. मे से अवैध बालु रेत का उत्खन्न करने के फलस्वरुप अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करते हुए भु -राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडवानी मे राजस्व प्रकरण क. 30/अ-67/2014-15 दर्ज किया जा कर 1,50,000/- अर्थदण्ड से आरोपित किया गया तथा आलोच्य आदेश दिनाक 30. 03.2016 पारित किया गया।

2. यह कि उक्त आदेश दिनाक 30.03.2016 से व्यथीत होकर पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी के द्वारा कलेक्टर महोदय बडवानी के समक्ष प्रथम अपील क 30/अ-67/2015-16 प्रस्तुत की गई थी जिसमे अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनाक 16.05.2018 को निरस्त की गई जिससे व्यथीत होकर पुनरिक्षणकर्ता/अपीलार्थी द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपील प्रकरण क 0862/अपील/2017-2018 प्रस्तुत कि जाने पर उनके द्वारा गुणदोषो पर निराकरण न करते हुये आलोच्य आदेश दिनाक 26.09. 2018 पारित किया गया, जिससे व्यथीत होकर पुनरिक्षणकर्ता निम्न आधारों पर सदर पुनरिक्षण प्रस्तुत करते है ।

जितेन्द्र

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6343/2018/बडवानी/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.08.2019	आवेदक जितेन्द्र पाटीदार को नियत पेशी दिनांक 6-8-2019 का भेजा गया नोटिस दिनांक 11-7-19 को तामील होने के उपरांत वापिस प्राप्त हुआ आवेदक पक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रकरण आवेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष 6/8	